B-II
L- 15
Polity

⇒ उच्चतम न्यायालय ने मेनका गाँधी वाद में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद - 14, 19 और 21 के बीच एक स्वर्णिम त्रिभुज विद्यमान है और तीनों परस्पर अंतर्संबंधित हैं।

⇒ मेनका गाँधी वाद के पहले यह माना जाता था कि कोई नागरिक उन्हीं अधिकारों की माँग कर सकता है जो भाग - III में उल्लेखित है लेकिन इस वाद से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाग- III के उल्लेखित अधिकारों में ही अनेक अधिकार अंतर्निहित हैं और जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह गरिमामयी जीवन का अधिकार (Right to live with Dignity) है।

⇒ उच्चतम न्यायालय ने इसी निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है और व्यक्ति के गरिमामयी जीवन के लिए निम्न लिखित परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

गरिमामयी जीवन →

(i) आजीविका का अधिकार -(ओलगा टेलिस वाद)

(ii) न्यूनतम मजदूरी का अधिकार
↓
(एशियाड वर्कर्स वाद)

(iii) त्वरित सुनवाई का अधिकार
↓
(हुसैन आरा खातून वाद)

(iv) प्रदूषित पर्यावरण के विरूद्ध अधिकार
↓
(एम. सी. मेहता वाद)

(v) हथकड़ी लगाने और अकेले जेल में रखने के विरूद्ध अधिकार
↓
(सुनील बत्रा वाद)

(vi) यौन शोषण के विरूद्ध अधिकार
↓
(विशाखा वाद)

(vii) निजता का अधिकार
↓
(पुट्टा स्वामी वाद)

(viii) लैंगिक चयन का अधिकार
↓
(नवतेज सिंह जौहर वाद)

(ix) अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
↓
(मोहिनी जैन वाद)

KGS IAS

⇒ उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार जीवन के अधिकारों का विस्तार किया उससे यह प्रतीत होने लगा कि भाग-III के मूल अधिकार भाग-IV के निदेशक तत्व से जुड़ गए क्योंकि संविधान के प्रत्येक भाग आँगिक (organic) रूप में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

न्यायपालिका विधि निर्माण की ओर →

1. मानेका गाँधी वाद के द्वारा न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों का जो विस्तार किया उसे फिलहाल न्यायिक विधायन के रूप में देखा जा सकता है जहाँ न्यायपालिका विधि निर्माण की ओर अग्रसर हो रही है केवल प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठा रही है। उदाहरण →ⓐ न्यायपालिका ने हिन्दू विवाह अधिनियम में मेरिटल रेप को जोड़ने का विस्तार दिया।

ⓑ मोटर वाहन अधिनियम की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिनियम में उल्लेखित दण्ड की मात्रा कम है जिसे 2 वर्ष या 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए।

2. इसे ही तत्वात्मक विधि की उचित प्रक्रिया कहा जाता है।



KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

3. ठीक इसी प्रकार अमेरिका की न्यायपालिका कार्य करती है इसीलिए अमेरिका में न्यायालय को तीसरा सदन भी कहा जाता है।

निवारक नजरबंदी →

1. अनुच्छेद-21 के जीवन के अधिकारों का विस्तार ही अनुच्छेद-22 में है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई आधार बताए हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे अपने पसंदीदा विधि व्यवसायी से भी परामर्श का अधिकार होगा।

2. अनुच्छेद-22 पुलिस राज्य का विरोधी विचार है क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की अनुमति से किसी व्यक्ति को 24 घण्टे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता और 24 घण्टे के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है जहाँ वह पुलिस थाने के बजाय केन्द्रीय जेल में रखा जा सकता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR